इण्टरमीडिएट कोर्स
(Intermediate Course)
अध्ययन सामग्री
(Study Material)

पेपर 4
कराधान
Taxation

भाग–ब : अप्रत्यक्ष कर
Section–B : Indirect Taxes

(मई, 2020 तथा नवम्बर, 2020 की
परीक्षाओं के लिए उपयुक्त)

मॉड्यूल–1 से 2

बोर्ड ऑफ स्टडीज
दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

© The Institute of Chartered Accountants of India

यह अध्ययन सामग्री बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा तैयार की गई अंग्रेजी अध्ययन सामग्री का हिन्दी रूपान्तरण है। इस अध्ययन सामग्री को तैयार करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। छात्रों को सुझायी गयी पाठ्य पुस्तकों का संदर्भ लेकर अपने अध्ययन को और अधिक व्यापक बनाना चाहिए। यदि विद्यार्थियों को किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो या इसमें सन्निहित सामग्री में आगे सुधार हेतु कोई सुझाव देना चाहें तो वे बोर्ड ऑफ स्टडीज के निदेशक को मुक्त रूप से लिख सकते हैं।

छात्रों के लिए निर्वचनों एवं विवेचनों को उपयोगी बनाने के लिए पूरी सावधानी बरती गई है, लेकिन अध्ययन सामग्री का संस्थान की परिषद् या किसी भी समिति द्वारा विशिष्ट तौर से विवेचन नहीं हुआ है तथा इसमें व्यक्त विचारों को अनिवार्यतः परिषद् या उसकी किसी समिति के विचारों का अंग नहीं माना जा सकता है।

इस सामग्री के किसी भी भाग को उद्धृत करने के लिए संस्थान की आज्ञा आवश्यक है।

© दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक के किसी भी भाग को प्रकाशक की लिखित पूर्व अनुमति के बिना उद्धृत, यांत्रिक प्रणाली में भण्डारित या संचारित अथवा किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो कॉपिंग, रिकॉर्डिंग या अन्यथा सम्प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

संस्करण	:	अगस्त, 2019
डिपार्टमैन्ट / कमेटी	:	बोर्ड ऑफ स्टडीज
ई-मेल	:	bosnoida@icai.in
वेबसाइट	:	www.icai.org
ISBN No.	:	978-81-8441-893-4
मूल्य	:	₹ 310 (सभी इकाइयों के लिए)
प्रकाशक	:	प्रकाशन विभाग, दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया आई.सी.ए.आई. भवन, पो.बॉ. नं. 7100, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली–110 002, भारत
		बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा टंकित और डिजाइन किया गया।
मुद्रक	:	साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, हॉस्पीटल रोड, आगरा–282 003
		अगस्त/2019/P2514 (पुनः प्रकाशन)

© The Institute of Chartered Accountants of India

हमारे शुरुआत करने से पूर्व....

किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की परम्परागत भूमिका जो लेखांकन और अंकेक्षण तक सीमित थी, अब पर्याप्त रूप से परिवर्तित हो गयी है और उसमें रणनीतिक निर्णयन और उपक्रमी रूप के सम्मिलित होने से परम्परागत वित्तीय रिपोर्टिंग भूमिका में मूल्य सम्वर्धन हुआ है। इस परिवर्तन के लिये मुख्य उत्तरदायी कारणों में सम्मिलित हैं–विधानों की बहुतायत, ई. कॉमर्स के प्रादुर्भाव के कारण सीमारहित अर्थव्यवस्थाएँ, नवीन वित्तीय प्रपत्र, निगमीय सामाजिक दायित्व का महत्व, सूचना तंत्र में दूरगामी प्रकट विकास–आदि के कारण व्यावसायिक जटिलताएँ बढ़ी हैं। इन कारणों ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की दक्षता स्तर में सुधार की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। जिसमें इनकी भूमिका लेखांकक या अंकेक्षक तक ही सीमित नहीं रही है। वरन एक वैश्विक समाधान प्रस्तुतकर्ता की हो गयी है। ऐसी दक्षता के लिये शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणात्मक योजनाओं और क्रियाकलापों की निरन्तर समीक्षा आवश्यक हो जाती है, जिससे बढ़ते गतिशील वैश्विक व्यावसायिक परिवेश की अपेक्षाओं के अनुरूप ढाला जा सके। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की नई महत्वाकांक्षी इस पीढ़ी के लिये दक्षताओं की, अपेक्षाओं की निरंतर समीक्षा की जाती रहेगी जिससे वे नवीन भूमिका के लिये अपेक्षित पेशेवर दक्षता प्राप्त कर सकें।

माध्यमिक स्तर पर कुशलता की अपेक्षाएँ (Skill requirements at Intermediate Level)

माध्यमिक स्तर पर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की पुनरीक्षित योजना के अधीन आपसे न केवल पेशेवर ज्ञान की आशा की जाती है वरन् ऐसी योग्यता को समस्या समाधान में लागू करना भी अपेक्षित है। ज्ञानार्जन की इस प्रक्रिया में आप में अपेक्षित पेशेवर कुशलता का भी प्रादुर्भाव भी होना चाहिये, अर्थात् बौद्धिक कुशलता एवं सम्प्रेषण कुशलताओं के माध्यम से पेशेवर दक्षता का आवश्यक स्तर प्राप्त किया जा सके।

माल एवं सेवाकर : क्रांतिकारी अप्रत्यक्ष कर (Goods and Services Tax : The game changer indirect tax)

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के लिये 'कराधान' एक मूल दक्षता का केन्द्र है। इण्टरमीडिएट स्तर पर 'कराधान' विषय को दो भागों में विभाजित किया गया है, नामत, Section (भाग A) : आयकर (विधान) कानून और भाग–B, अप्रत्यक्ष कर। इण्टरमीडिएट स्तर पर अप्रत्यक्ष कर में शामिल है– माल एवं सेवा कर (जी. एस. टी.), एक ऐसा नवाचारित अप्रत्यक्ष कर है जिसको भारत में 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है।

जी.एस.टी. के साथ, देश के अप्रत्यक्ष कर परिदृश्य में वैचारिक परिवर्तन हुआ है। जी.एस.टी. का उद्देश्य है, कि सम्पूर्ण भारत को एक बाजार के रूप में स्थापित करें जहाँ एक ही कर की दरें और प्रक्रियाएँ प्रभावी हों, जिससे आर्थिक बाधाओं को दूर करके राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो सके, जी.एस.टी. के अधीन अधिकांश केन्द्रीय करों (उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केन्द्रीय विक्रय कर आदि) और राज्य स्तरीय करों (वैट, विलासिता शुल्क, मनोरंजन कर आदि) को समाहित करके ऐसे एकल कर

© The Institute of Chartered Accountants of India

का रूप दिया है, जिसके सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला, के अधीन पूर्व चुकता कर का निर्बाध क्रेडिट (सेटआफ) प्राप्त हो सके, जिससे सोपानी (कास्केडिंग) प्रभाव समाप्त करके प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ायी जा सके। इसमें बहुचरणीय एकत्रण व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है जहाँ प्रत्येक चरण पर कर संगृहीत किया जाता है और पूर्व चरण में चुकता कर का क्रेडिट लेन–देन के अगले चरण पर देय कर से उपलब्ध होता है।

इण्टरमीडिएट स्तर पर जी.एस.टी. में विधानों के चयनित प्रावधानों को लागू करने की समझ निहित है। नवीन कर विधान की जटिलताओं के साथ अन्तर्निहित गतिशीलता के कारण इस विधान की समझ ज्ञान और क्रियान्वयन द्वारा समस्या समाधान बहुत रोचक और चुनौतीपूर्ण है।

पाठ्यक्रम समझें–इसे अध्ययन दिशा निर्देशों के साथ पढें (Know your Syllabus-Read the same Along with Study Guidelines)

भाग–B के पाठ्यक्रम में GST Act, 2017 I.G.S.T., 2017 के प्रावधानों को अप्रत्यक्ष कर में शामिल किया गया है। आगे, पाठ्यक्रम से विषय पर आधारित (Topic-wise) निस्तारण के विवरण हेतु, अन्तर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों के समान, इस विषय में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की संशोधित योजना में अध्ययन दिशा निर्देशों की अवधारणा को प्रस्तावित किया गया है। एक परीक्षा के लिये अध्ययन दिशा निर्देशों को उस परीक्षा के लिये उपर्युक्त संशोधनों (Amendments) की निर्दिष्ट तिथि (Cut of date) की समाप्ति के बाद जारी किया गया है। इस विषय के अध्ययन दिशा निर्देश पूर्व पाठ्यक्रम के समतुल्य पेपर पर भी लागू है।

पाठ्यक्रम के क्षेत्र को समझने के लिये अध्ययन सामग्री का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि इसकी विषयवस्तु को पाठ्यक्रम में निहित विभिन्न विषयों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। अतः ऐसे प्रावधान जो कि पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं उनका अध्ययन सामग्री में विवेचित और विश्लेषण नहीं किया गया है। तथापि सम्बन्धित प्रभावी प्रावधानों की विवेचना करते समय, ऐसे आवश्यक (परन्तु न शामिल) प्रावधानों को भी संदर्भ–विभिन्न स्थानों पर फुट नोट्स अथवा प्रस्तुत किया गया है।

आगे, अध्ययन सामग्री को अध्ययन दिशानिर्देशों के साथ भी पढ़ा जाना चाहिये। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अध्ययन सामग्री अध्ययन दिशा निर्देश जारी करने से पहले जारी की जाती है। इसलिये, अध्ययन सामग्री में कुछ प्रावधानों पर चर्चा हो सकती है, जो अध्ययन सामग्री को जारी करते हैं, अध्ययन दिशानिर्देशों के माध्यम से पाठ्यक्रम से बाहर रखा जाता है। इस तरह के प्रावधान परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रासंगिक नहीं होंगे।

अध्ययन सामग्री को जानें (Know your Study Material)

यह अध्ययन सामग्री 30.04.2019 तक संशोधित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और एकीकृत माल और सेवा अधिनियम, 2017 के प्रावधान पर आधारित है। इसमें यह CGST (संशोधन) अधिनियम, 2018 और IGST (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा किए गए संशोधनों को 01.02.2019 से प्रभावी और 30.04.2019 तक जारी महत्वपूर्ण सूचनाएँ और परिपत्र शामिल हैं। इसलिए अध्ययन सामग्री 2020 और नवम्बर 2020 परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक है। संशोधन अधिनियमों और नवीनतम अधिसूचनाओं परिपत्रों द्वारा किए गए संशोधनों को अध्ययन सामग्री में बोल्ड इटैलिक में दर्शाया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसके अलावा, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद 01.08.2019 से लागू हो गया है। हालांकि CGST अधिनियम और IGST अधिनियम में किए गए संशोधन वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 को रद्द करते हैं, जब तक कि यह अध्ययन सामग्री छपाई के लिए जारी नहीं की जाती है, तब तक प्रभावी नहीं होता है। इसलिए मई 2020 और/या नवम्बर 2020 परीक्षाओं के लिए वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 द्वारा किए गए संशोधनों की प्रयोज्यता या अन्यथा ICAI द्वारा प्रभावी होने के ही घोषित किया जाएगा।

अध्ययन सामग्री में मौजूदा प्रावधानों[1] की तुलना वित्त से सम्बन्धित प्रावधानों (2 नम्बर) अधिनियम, 2019 के अनुसार प्रत्येक अध्याय के अन्त में की जाती है, जहाँ भी प्रासंगिक हो। एक बार परीक्षा के लिए इस तरह के संशोधनों की प्रयोज्यता की घोषणा ICAI द्वारा की जाती है, छात्रों को अध्याय में चर्चा किए गए सम्बन्धित प्रावधानों के स्थान पर संशोधित प्रावधानों को पढ़ना चाहिए।

जीएसटी के जटिल कानून को आकर्षक तरीके से पेश करने का प्रयास किया गया है। छात्रों द्वारा आसानी से समझने की सुविधा के लिए अध्यायों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने का ध्यान रखा गया है। छात्रों द्वारा निपटने में आसानी के लिए अध्ययन सामग्री को दो मॉड्यूल में विभाजित किया गया है। मॉड्यूल 1 अध्याय 1-5 को शामिल करता है और मॉड्यूल 2 अध्याय 6-10 को शामिल करता है।

विषय से सम्बन्धित विभिन्न अध्यायों/इकाइयों को समानता के साथ संरचित करके इसमें निम्नलिखित भागों को शामिल किया गया है :

प्रत्येक अध्याय के भाग Components of each Chapter	**भाग का परिचय** About the component
1. अध्ययन के परिणाम	प्रत्येक विषय के अध्ययन द्वारा ज्ञानार्जन के लिये अपेक्षित मुख्य बिन्दुओं को प्रत्येक इकाई/अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर उल्लिखित किया गया है। इन अध्ययन उपलब्धियों द्वारा आप तकनीकी दक्षता के अपेक्षित स्तर को प्राप्त कर सकेंगे।
2. अध्याय अवलोकन	जैसा कि नाम से प्रकट होता है, प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में प्रस्तुत फ्लोचार्ट/तालिका/रेखाचित्र से आपको अध्याय में सम्मिलित विषय–वस्तु की वृहद् रूपरेखा प्रकट होगी।
3. विषय–वस्तु	जी.एस.टी. विधानों को क्रमबद्ध रूप में इस प्रकार समझाया गया है कि पहले वैधानिक प्रावधानों के उल्लेख पश्चात् उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। वैधानिक प्रावधानों की समझ से आपमें विधायी अभिरुचि उत्पन्न होगी, जो किसी विधान के अध्ययन के लिये पूर्व अपेक्षा है। तत्पश्चात् प्रस्तुत विधायी प्रावधानों के विश्लेषण से आप समझ सकेंगे कि विधान के अर्थपूर्ण निष्कर्ष के लिये उसकी किस प्रकार व्याख्या की जानी अपेक्षित है, जिससे समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सके। आप वैधानिक प्रावधानों और उसके

© The Institute of Chartered Accountants of India

	विश्लेषण का एक साथ अध्ययन पश्चात् ही प्रावधानों की समग्र एवं पूर्ण समझ प्राप्त कर सकेंगे। जी.एस.टी. विधानों की अवधारणाओं और प्रावधानों को विद्यार्थी सम्यक रीति से विश्लेषित किया है, जिसमें उदाहरणों / दृष्टान्तों (Illustrations) / रेखाचित्रों / फ्लोचार्ट्स की सहायता ली गयी है / अवधारणाओं / प्रावधानों को उदाहरणों और फ्लोचार्टस द्वारा समझा जा सकता है। ऐसी मूल्य सम्वर्धक अभ्यासों द्वारा आपमें अवधारणात्मक स्पष्टता का विकास होगा और विषय पर अच्छी पकड़ प्राप्त हो सकेगी।
4. हमें पुनर्पूंजीकरण करें	अध्याय का सारांश टेबल / आरेख / प्रवाह चार्ट के रूप में आपने जो कुछ भी सीखा है उसे संशोधित करने में आपकी सहायता के लिए अन्त में दिया गया है। यह विशेष रूप से परीक्षा से एक दिन पहले अध्याय के त्वरित संशोधन की सुविधा प्रदान करेगा। हालांकि कृपया ध्यान दें कि इस तरह के सारांश गहराई से अध्ययन के लिए एक विकल्प नहीं है। अध्याय में चर्चाओं को पढ़ने के बाद ही आपको सारांश पढ़ना चाहिए।
5. स्वयं ज्ञान परीक्षण	इस भाग में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करके उनके उत्तर ढूढ़ने के क्रम में आपके अन्दर समस्या समाधान की समझ प्राप्त कर सकेंगे जिससे आपकी व्यावहारिक कुशलता की धार पैनी होगी। वास्तव में, इससे आपकी अवधारणाओं / प्रावधानों की समझ का परीक्षण होने के साथ–साथ समस्याओं के समाधान में इन्हें लागू करने में आपकी सामर्थ्य का भी परीक्षण होगा। बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्नों द्वारा आपकी अध्याय की समझ की गहनता और विस्तार का भी परीक्षण हो जाता है।
6. उत्तर	'स्वयं ज्ञान परीक्षण' संभाग में प्रस्तुत समस्याओं / प्रश्नों के हल पश्चात् आप अपने स्तरों का परीक्षण अध्याय में दिये गये उत्तरों से करके सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं। इस प्रकार आप अध्याय की अवधारणाओं / प्रावधानों की समझ के स्तर का स्वयं परीक्षण कर सकेंगे।

अध्ययन सामग्री के अध्ययन के समय विद्यार्थी निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान दे सकते हैं :

- संक्षिप्तता के लिए "गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स", "सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स", "स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, "यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स", "इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स", "सेंट्रल गुड्स", और "सेवा अधिनियम, 2017", एकीकृत माल और सेवा अधिनियम, 2017 "और" "केंद्र शासित", "प्रदेश माल और सेवा अधिनियम, 2017", "केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर नियम,

© The Institute of Chartered Accountants of India

2017", को "जीएसटी, सीजीएसटी" के रूप में संदर्भित किया गया है। इस अध्ययन सामग्री में क्रमशः "SGST", "UTGST", "IGST", "CGST" अधिनियम "IGST अधिनियम", "UTGST अधिनियम और "CGST अधिनियम" शामिल हैं।

- ❒ जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हो धारा संख्याओं एवं संदर्भित नियमों का सम्बन्ध क्रमशः (CGST Act) और (CGST Rules) से समझा जाए।
- ❒ "स्वयं ज्ञान परीक्षण" शीर्षक के अधीन प्रस्तुत उदाहरण, दृष्टान्त, प्रश्न और उत्तर का हल/समाधान 30-04-2019 के दिन विद्यमान विधान के आधार पर किया गया है। उदाहरणों, दृष्टान्तों, प्रश्नों और उत्तरों में उपर्युक्त तिथि के पश्चात् कोई संदर्भ केवल अवधारणाओं/प्रावधान के विश्लेषण के उद्देश्य से दिया गया है, हो सकता है कि उपर्युक्त तिथि के पश्चात विधान की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ हो।

इस अध्ययन सामग्री के विकास एवं रचना में यद्यपि सभी सावधानियाँ एवं प्रयास किये गये हैं, फिर भी त्रुटियों/भूलों की सम्भावनाओं से मना नहीं किया जा सकता है। ऐसी कोई त्रुटियों/भूलों (यदि कोई हों) को आप हमारे संज्ञान में ला सकते हैं, जिससे कि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

हमें आशा है यह नवीन विद्यार्थी सम्यक अध्ययन सामग्री से आपके ज्ञार्नाजन का उद्देश्य अधिक रुचिकर सिद्ध होकर आपके ज्ञानवर्धन के साथ–साथ आपकी व्यावहारिक कुशलता को और पैना करेगा।

चूंकि कराधान पर कागज का हिस्सा बनाने वाले अप्रत्यक्ष करों के विषय का पूरा पाठ्यक्रम नए और पुराने पाठ्यक्रम दोनों के लिए समान है, इसलिए यह अध्ययन सामग्री IIPCC (पुराने) पेपर 4 कराधान अनुभाग बीः अप्रत्यक्ष करों के लिए भी प्रासंगिक।

शुभ अध्ययन, शुभकामनाओं सहित !

© The Institute of Chartered Accountants of India

पाठ्यक्रम

पेपर–4 : कराधान

(एक प्रश्न–पत्र – तीन घंटे–100 अंक)

उद्देश्य–आयकर विधान, माल और सेवाकर विधानों के प्रावधानों की समझ के विकास के लिये और ऐसे ज्ञान की गणनाओं और समस्यामूलक प्रश्नों के हल के लिये सामर्थ्य प्राप्त करना है।

भाग A : आयकर विधान (60 अंक)

विषय–वस्तु :

1. मूल अवधारणाएँ

(i) आयकर विधान : परिचय

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 में प्रमुख परिभाषाएँ

(iii) गतवर्ष और निर्धारण वर्ष की अवधारणाएँ

(iv) कर की दरों की वसूली का आधार

2. निवासीय स्थिति और कुल आय का क्षेत्र

(i) निवासीय स्थिति

(ii) कुल आय का क्षेत्र

3. ऐसी आयें, जो कुल आय का भाग नहीं हैं (पुण्यार्थ ट्रस्ट एवं संस्थानों, राजनीतिक दलों और निर्वाचन ट्रस्ट को छोड़कर)

(i) आयें जो कुल आय में शामिल नहीं होती हैं

(ii) SEZ में नवीन स्थापित इकाइयों के लिये करावकाश (Tax holiday)

4. आय के शीर्षक और विभिन्न शीर्षकों के मध्य गणना सम्बन्धी प्रावधान

(i) वेतन

(ii) मकान सम्पत्ति से आय

(iii) व्यवसाय या पेशे से लाभ एवं अर्जन

(iv) पूँजी लाभ

(v) अन्य साधनों से आय

5. कर दाता की आय में शामिल होने वाली अन्य व्यक्तियों की आयें

(i) आय का मिलान : परिचय

(ii) सम्पत्तियों के अंतरण के बिना आय का अंतरण

(iii) सम्पत्तियों के खण्डनीय अन्तरण से उपार्जित आयें

(iv) जीवनसाथी, अवयस्क बच्चा और पुत्रवधू की उपार्जित आयों का कुछ स्थितियों में मिलान करना

(v) स्वयं अर्जित सम्पत्ति का HUF में परिवर्तन

© The Institute of Chartered Accountants of India

6. आय का संकलन : हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना

(i) आय का संकलन

(ii) हानियों की पूर्ति और आगे ले जाने की अवधारणा

(iii) आय के विभिन्न शीर्षकों के मध्य हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना

(iv) हानियों की पूर्ति का क्रम

7. सकल कुल आय से कटौतियाँ

(i) सामान्य प्रावधान

(ii) कुछ भुगतानों के सम्बन्ध में कटौतियाँ

(iii) कुछ आयों के सम्बन्ध में विशिष्ट कटौतियाँ

(iv) अन्य आय के सम्बन्ध में कटौतियाँ

(v) अन्य कटौतियाँ

8. व्यक्तियों की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना

(i) व्यक्तियों की कुल आय की गणना में विचारणीय आय

(ii) व्यक्तियों की कुल आय और कर दायित्व की गणना की प्रक्रिया

9. अग्रिम कर स्त्रोत पर कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण का परिचय

(i) परिचय

(ii) प्रत्यक्ष भुगतान

(iii) स्रोत पर कर की कटौती सम्बन्धी प्रावधान

(iv) अग्रिम कर भुगतान

(v) अग्रिम कर भुगतान में त्रुटि या स्थगन पर ब्याज

(vi) स्रोत पर कर का संग्रहण–मूल अवधारणा

(vii) कर की कटौती और संग्रहण खाता संख्या

10. स्वयं निर्धारण और आय की विवरणी, प्रस्तुति के प्रावधान

(i) आय की विवरणी

(ii) आय विवरणी की अनिवार्य प्रस्तुति

(iii) आय विवरणी प्रस्तुति में त्रुटि पर फीस एवं ब्याज

(iv) हानि की वापसी

(v) विलम्बित, पुनरीक्षित विवरणी आदि सम्बन्धी प्रावधान

(vi) स्थायी खाता संख्या

(vii) आय विवरणी के सत्यापन के लिये अधिकृत व्यक्ति

(viii) स्वयं–निर्धारण

भाग B : अप्रत्यक्ष कर (40 अंक)

विषय–वस्तु :

1. अप्रत्यक्ष कर की अवधारणा

(i) अप्रत्यक्ष कर की अवधारणा एवं विषेषताएँ

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) अप्रत्यक्ष करों के सिद्धान्त

2. माल एवं सेवाकर (GST) विधान

(i) जी.एस.टी. विधान : संवैधानिक स्थिति सहित एक परिचय

(ii) CGST/IGST का संग्रहण एवं उद्ग्रहण

(a) CGST/IGST विधानों का आवेदन

(b) संयुक्त और मिश्रित पूर्तियों सहित पूर्ति की अवधारणा

(c) कर की वसूली

(d) कर से मुक्ति

(e) कम्पोजीशन उद्ग्रहण

(iii) पूर्ति का मूल्य एवं समय की मूल अवधारणाएँ

(iv) इनपुट टैक्स क्रेडिट

(v) जी.एस.टी. दायित्व की गणना

(vi) पंजीयन

(vii) कर बीजक, क्रेडिट/डेबिट नोट्स, ई–वे बिल

(viii) विवरणी

(ix) कर भुगतान

नोट : यदि विद्यमान विधानों के स्थान पर नवीन विधानों को लागू किया जाता है, पाठ्यक्रम में तदनुसार ऐसे नवीन विधानों के प्रावधानों को शामिल किया जायेगा। इसी प्रकार, यदि किसी विद्यमान विधान की प्रभावशीलता समाप्त होती है, तब संस्थान द्वारा घोषित तिथि के प्रभाव से उसको पाठ्यक्रम से हटा दिया जायेगा। विद्यार्थियों को किसी राज्य जी.एस.टी. विधान के सन्दर्भ में परीक्षित नहीं किया जायेगा।

आयकर विधान और माल एवं सेवाकर विधानों के प्रावधानों में परिणामतः तदनुरूप किये गये संशोधनों के कारण इस प्रश्न पत्र के पाठयक्रम में ऐसे संशोधन प्रभावी नहीं होंगे जो भी इससे बाहर रखे गये हैं। साथ ही पाठ्यक्रम में शामिल विभिन्न विषयों सम्बन्धी समविशन निवारण को प्रतिवर्ष अध्ययन मार्गदर्शक के अनुसार शामिल किया जायेगा। वार्षिक वित्त अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष एडीशन्स/डिलीशन्स के कारण समविशन निवारण भी प्रभावित होंगे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

विषय–वस्तु

अध्याय 1 : भारत में जी.एस.टी.–एक परिचय **1.1-1.35**

सीखने का परिणाम 1.1

अध्याय अवलोकन 1.2

1. पृष्ठभूमि 1.2
2. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर 1.3
3. अप्रत्यक्ष करों की विशेषताएँ 1.5
4. भारत में जी.एस.टी. का इतिहास 1.5
5. जी.एस.टी. की अवधारणा 1.8
6. भारत में जी.एस.टी. की आवश्यकता 1.8
7. भारत में प्रचलित जी.एस.टी. की संरचना 1.10
8. जी.एस.टी. के लाभ 1.25
9. संवैधानिक प्रावधान 1.28
10. स्वयं ज्ञान परीक्षण 1.33
11. उत्तर/संकेत 1.35

अध्याय 2 : जी.एस.टी. के अधीन पूर्ति **2.1-2.57**

सीखने का परिणाम 2.1

अध्याय अवलोकन 2.2

1. परिचय 2.2
2. प्रासंगिक परिभाषाएँ 2.3
3. पूर्ति की अवधारणा (CGST Act की धारा 7) 2.6
4. संयुक्त एवं मिश्रित पूर्तियाँ (धारा 8) 2.41
5. आओ दोहराएं 2.46

© The Institute of Chartered Accountants of India

6. अपने ज्ञान को परखें 2.53
7. उत्तर/संकेत 2.55

अध्याय 3 : जी.एस.टी. का प्रभार्य 3.1-3.46

सीखने का परिणाम 3.1

अध्याय अवलोकन 3.1

1. परिचय 3.2
2. प्रासंगिक परिभाषाएँ 3.2
3. जीएसटी कानून का उद्भव एवं विस्तार 3.6
4. CGST तथा IGST का उद्ग्रहण एवं संग्रहण (धारा 9 CGST ACT तथा धारा 5 IGST ACT) 3.8
5. कम्पोजीशन करारोपण (CGST Act की धारा–10) 3.24
6. रियायती दर पर कर जमा करने का विकल्प अधिसूचना संख्या 2/2019CT(R) दिनांक 07.03.2019 ..... 3.35
7. आओ दोहराएं 3.38
8. अपने ज्ञान को परखें 3.43
9. उत्तर/संकेत 3.45

अध्याय 4 : जीएसटी से विमुक्तियाँ 4.1-4.87

सीखने का परिणाम 4.1

अध्याय अवलोकन 4.1

1. परिचय 4.1
2. कर से विमुक्ति स्वीकार करने की शक्तियाँ (CGST Act की धारा-11 और IGST Act की धारा 6) 4.2
3. कर से मुक्त माल 4.4
4. उन सेवाओं की सूची जो कर से विमुक्त है 4.5
5. आओ दोहराएं 4.69
6. अपने ज्ञान को परखें 4.83
7. उत्तर/संकेत 4.86

© The Institute of Chartered Accountants of India

अध्याय 5 : पूर्ति का समय एवं मूल्य **5.1-5.63**

इकाई I : पूर्ति का समय 5.1

सीखने का परिणाम 5.1

इकाई अवलोकन 5.2

1. परिचय 5.2
2. प्रासंगिक परिभाषाएँ 5.3
3. माल की पूर्ति का समय (धारा 12) 5.6
4. सेवाओं की पूर्ति का समय (धारा 13) 5.20
5. आओ दोहराएं 5.31
6. अपने ज्ञान को परखें 5.33
7. उत्तर/संकेत 5.37

इकाई–II पूर्ति का मूल्य 5.41

सीखने का परिणाम 5.41

इकाई अवलोकन 5.41

1. परिचय 5.41
2. प्रासंगिक परिभाषाएँ 5.42
3. पूर्ति का मूल्य (धारा-15) 5.45
4. आओ दोहराएं 5.60
5. अपने ज्ञान को परखें 5.60
6. उत्तर/संकेत 5.62

© The Institute of Chartered Accountants of India